सीमा शुल्क अधिनियम, 1962:धारा 129 ई-अपील दायर करने से पहले मांगे गए शुल्क के कुछ प्रतिशत की जमाखोरी या लगाया गया जुर्माना-अपीलार्थी को तस्करी किए गए सोने के साथ रोका गया-1 लाख रुपये के जुर्माने का अधिरोपण-जिसे अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई थी-न्यायाधिकरण द्वारा खारिज की गई अपीलें क्योंकि यू/एस की राशि को पूर्व जमा करने की आवश्यकता है।129 ई ने अनुपालन नहीं किया-उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा-अपीलार्थी का मामला कि चूंकि घटना 2013 में हुई थी, इसलिए उसे एस द्वारा शासित किया जाना चाहिए।129 ई प्रतिस्थापन से पहले जिसमें पूर्व-जमा की मांग के मामले में अपीलीय निकाय के पास एक शक्ति उपलब्ध थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहले के प्रावधान को निरस्त कर दिया जाता है और नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-तथ्यों पर, प्रतिस्थापन ने निरसन को प्रभावित किया है और इसने प्रावधान को फिर से लागू किया है जैसा कि एस में निहित है। 129 एस के प्रतिस्थापन के बाद, आयुक्त द्वारा पारित ई-आदेश 2015 का है।129 ई और अपीलार्थी ने 2017 में अपील दायर की-अपीलार्थी को एस के संदर्भ में राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।129 ई प्रतिस्थापन के बाद, एस में प्रदान किए गए निश्चित प्रतिशत के संदर्भ में बहुत कम राशि।129 ई प्रतिस्थापन से पहले-हालाँकि, अपीलकर्ता, उस परंतुक का लाभ प्राप्त करना चाहता है जो वास्तव में, उचित रूप से केवल उस मामले में लागू होगा जहाँ अपीलार्थी को यू/एस के तहत पूरी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। 129 पहले के अवतार के तहत-विधायी इरादा स्पष्ट रूप से होगा कि अपीलार्थी को प्रतिस्थापित प्रावधान यू/एस के परंतुक के तहत उपलब्ध विवेकाधीन शक्ति का लाभ उठाने की अनुमति न दी जाए।129 ई-इस प्रकार, अपीलार्थी के मामले को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि, न्याय के हित में, अपीलार्थी को एस की आवश्यकता का पालन करने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है।129 अधिनियम का ई।

ई.

एफ.

जी.

बेनारा वॉल्व्स लिमिटेड और अन्य बनाम आयुक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और दूसरा (2006) 13 एस. सी. सी. 347:[2006] 9 पूरक।एस. सी. आर. 341-संदर्भित।

एच.

743

744 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

ए.

वैधानिक व्याख्या पर सिद्धांत **(12** वां संस्करण**)**

पृष्ठ संख्या **676-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2006] 9 पूरक।पैरा **7** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 341**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 1566।

बी.

सी. यू. एस. टी. ए./12/2018 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

गालिब कबीर, संदीप सिंह, एड.अपीलार्थी के लिए।न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

सी.

के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.**

1. विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 129 ई के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है।यही कारण है कि अपीलार्थी ने उक्त प्रावधान के संदर्भ में राशि के पूर्व-जमा के संबंध में अधिनियम की धारा 129 ई के तहत आवश्यकता का पालन नहीं किया है।

डी.

2. एक ट्रेन में यात्रा करते समय अपीलार्थी को रोक लिया गया।उसके खिलाफ मामला ऐसा प्रतीत होता है कि वह बांग्लादेश से भारत में तस्करी करके लाया गया सोना ले जा रहा था और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था।कार्यवाही के समापन पर, सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) पश्चिम बंगाल, कोलकाता ने एक सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें अपीलार्थी पर 1 लाख रुपये की राशि का जुर्माना लगाया गया।ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे व्यक्ति को भी जुर्माना देने के लिए कहा गया था।उन्होंने वर्ष 2017 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी। न्यायाधिकरण ने यह पाते हुए कि अपीलार्थी ने पूर्व-जमा नहीं किया है, अपील को खारिज कर दिया।यह वह आदेश है जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था और उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा है।

ई.

एफ.

जी.

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गैलिबकबीर को सुना।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता इंगित करेंगे कि पूर्व-जमा की मांग कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है।उनका तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि अपीलकर्ता इस मामले को अधिनियम के 129 ई के प्रावधान के तहत निपटाने का हकदार है, जो वर्तमान अवतार से पहले क़ानून की किताब में था, इसे 2014 के अधिनियम 25 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

एच.

745

चंद्र शेखर झा बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

4. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 ई, जो 2014 के अधिनियम 25 द्वारा प्रतिस्थापन से पहले थी, निम्नानुसार हैः-

“129 ई. शुल्क और ब्याज का जमा, लंबित अपील, या लगाया गया जुर्माना।- जहां इस अध्याय के अधीन किसी अपील में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, वह निर्णय या आदेश सीमा शुल्क अधिकारियों के नियंत्रण में न होने वाले माल के संबंध में मांगे गए किसी भी ब्याज या सीमा शुल्क अधिकारियों के नियंत्रण में न होने वाले माल के लिए लगाए गए किसी भी जुर्माने या इस अधिनियम के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने से संबंधित है, तो ऐसे निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने का इच्छुक व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत लगाए गए लंबित रहने तक, ऐसे निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने का इच्छुक व्यक्ति,

अपील लंबित रहने तक, उचित अधिकारी शुल्क और मांगे गए ब्याज या लगाए गए जुर्माने के साथ जमा करेगाः

बी.

सी.

बशर्ते कि जहां किसी विशेष मामले में, आयुक्त (अपील) या अपीलीय न्यायाधिकरण की राय है कि शुल्क और मांगे गए ब्याज की जमा राशि या लगाए गए जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को कठिनाई होगी, आयुक्त (अपील) या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसी शर्तों के अधीन ऐसी जमा राशि का वितरण कर सकता है जो वह राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अधिरोपित करना उचित समझेः

डी.

बशर्ते कि जहां पहले परंतुक के तहत लगाए गए शुल्क और मांगे गए ब्याज या जुर्माने की जमा राशि को समाप्त करने के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है, वहां आयुक्त (अपील), जहां ऐसा करना संभव है, ऐसे आवेदन पर उसे दाखिल करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्णय लेगा।"

ई.

इसके बाद वर्तमान संस्करण को दिनांकित 06.08.2014 से प्रभावी रूप से डाला गया, जो इस प्रकार हैः-

एफ.

"129-ई. अपील दायर करने से पहले शुल्क के कुछ प्रतिशत की मांग या जुर्माना जमा करना।—न्यायाधिकरण या आयुक्त (अपील), जैसा भी मामला हो, किसी भी अपील पर विचार नहीं करेगा,-(i) धारा 128 की उप-धारा (1) के तहत, जब तक कि अपीलकर्ता ने शुल्क का साढ़े सात प्रतिशत जमा नहीं किया है, जहां शुल्क या शुल्क और जुर्माना विवाद में है, या जुर्माना, जहां ऐसा जुर्माना विवाद में है, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त से कम रैंक के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के अनुसरण में;

जी.

एच.

((ख) धारा 129-क की उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जब तक कि अपीलार्थी ने शुल्क का साढ़े सात प्रतिशत जमा नहीं किया है, उस मामले में जहां शुल्क या शुल्क और जुर्माना विवाद में हैं, या जुर्माना, जहां ऐसा जुर्माना विवाद में है, उस निर्णय या आदेश के अनुसरण में जिसके खिलाफ अपील की गई है;

बी.

((ग) धारा 129-क की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जब तक कि अपीलार्थी ने शुल्क का दस प्रतिशत जमा नहीं किया है, उस मामले में जहां शुल्क या शुल्क और जुर्माना विवाद में है, या जुर्माना, जहां ऐसा जुर्माना विवाद में है, उस निर्णय या आदेश के अनुसरण में जिसके खिलाफ अपील की गई हैः

सी.

बशर्ते कि इस धारा के तहत जमा की जाने वाली आवश्यक राशि दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगीःबशर्ते कि इस धारा के प्रावधान वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से पहले किसी भी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित स्थगन आवेदनों और अपीलों पर लागू नहीं होंगे।]”

डी.

5. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का विशिष्ट तर्क यह है कि अपीलार्थी के मामले में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम वर्ष 2013 (अर्थात् 28.2.2013 पर) से संबंधित है, अपीलार्थी को प्रतिस्थापन से पहले धारा 129E द्वारा शासित होना चाहिए।यही कारण है कि धारा 129 ए का प्रतिस्थापन 06.08.2014 पर किया गया था जो घटना की तारीख (28.02.2013) के बाद है।उसी के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि धारा 129 ई के तहत, जैसा कि यह था, प्रतिस्थापन से पहले पूर्व-जमा की मांग के मामले में अपीलीय प्राधिकरण के पास एक शक्ति उपलब्ध थी।वह बताएगा कि उसके मामले में पूर्व-जमा की राशि कठोर और भारी है।

ई.

एफ.

6. प्रतिस्थापन से पहले और बाद में धारा 129 ई के प्रावधानों के संदर्भ में, यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून देने वाले का इरादा पिछली व्यवस्था से व्यापक बदलाव लाने और एक नए युग की शुरुआत करने का है, जिसके तहत जमा की जाने वाली राशि को कम किया गया था और विवादग्रस्त राशि का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया गया था।दूसरे शब्दों में, जबकि धारा 129 ए के तहत, जैसा कि यह प्रतिस्थापन से पहले था, अपीलार्थी को शुल्क और मांगे गए ब्याज या लगाए गए जुर्माने को जमा करना था, वर्तमान व्यवस्था में,

अपीलार्थी द्वारा साढ़े सात प्रतिशत राशि जमा करने पर अपील कायम रखी जा सकती है। पहले के शासन के तहत, ए में

जी.

एच.

747

चंद्र शेखर झा बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

दूसरे शब्दों में, पूरी राशि जो विवाद में थी, उसे जमा करना था।धारा 129 ई के पूर्व अवतार के तहत, कानून देने वाले ने अपीलीय निकाय को पहले परंतुक में निहित शक्ति के साथ भी पहना था।पहले परंतुक ने आयुक्त (अपील) या जैसा भी मामला हो, अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसी जमा राशि देने की शक्ति प्रदान की, जो उन शर्तों के अधीन थी जो वह राजस्व के हित की रक्षा के लिए अधिरोपित करना उचित समझता था।

बी.

7. यह सवाल कि क्या यह अनुचित कठिनाई है, बेनारा वाल्व्स लिमिटेड और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले का विषय रहा है।

बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और एक अन्य, (2006) में रिपोर्ट किया गया

13 एस. सी. सी. 347, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित थाः- “13. किसी कठिनाई के "अनुचित" होने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि आवश्यकता का पालन या निष्पादन करने का विशेष बोझ आवश्यकता की प्रकृति के अनुपात से बाहर है, और वह लाभ जो आवेदक को उसके अनुपालन से प्राप्त होगा।”8. यह पिछली व्यवस्था से एकदम अलग है कि नया प्रावधान लागू किया गया है।नई व्यवस्था के तहत, एक ओर अपील को बनाए रखने के लिए जमा की जाने वाली राशि को आईडी1 से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन पूर्व-जमा को कम करने के लिए अपीलीय निकाय को जो विवेकाधिकार उपलब्ध कराया गया था, उसे हटा लिया गया है।9. वर्तमान धारा की धारा 129 ई का पहला परंतुक कुल राशि पर एक सीमा लागू करता है जिसकी पूर्व-जमा के माध्यम से मांग की जा सकती है।पहले प्रावधान में कहा गया है कि जमा करने के लिए आवश्यक राशि Rs.10 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।इस संबंध में, कानून देने वाले ने एक अपीलार्थी को राहत देने का इरादा किया है।दूसरे परंतुक में विचार किया गया है कि प्रतिस्थापित धारा 129 (ई) उन आवेदनों और अपीलों पर रोक लगाने के लिए लागू नहीं होगी जो 2014 के वित्त अधिनियम (2) के प्रारंभ से पहले अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं।संशोधित प्रावधान, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, 06.08.2014 से लागू हो गया है।इसलिए, वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2014 के प्रारंभ से पहले किसी भी अपीलीय

प्राधिकरण के समक्ष लंबित स्थगन आवेदनों और अपीलों के संबंध में, प्रतिस्थापित धारा 129 ई लागू नहीं होगी।किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहले के प्रावधान को निरस्त कर दिया जाता है और नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।1

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 [इस संबंध में न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या पर सिद्धांत (12 वां संस्करण) पृष्ठ No.676 में एक चर्चा देखें।

एच.

10. जहाँ तक अपीलार्थी का यह तर्क है कि जिस घटना के कारण अपीलार्थी द्वारा दायर अपील वर्ष 2013 में हुई थी, अपीलार्थी को प्रतिस्थापित प्रावधान के तहत उपलब्ध शक्ति का लाभ दिया जाना चाहिए, यह हमें अपील नहीं करता है।प्रतिस्थापन ने एक निरसन को प्रभावित किया है और इसने प्रावधान को फिर से लागू किया है जैसा कि धारा 129 ई में निहित है। वास्तव में, तर्क की स्वीकृति में कानून में एक द्विभाजन शामिल होगा।एक ओर, अपीलार्थी को जो भुगतान करने के लिए कहा जाता है, वह पूरी राशि नहीं है जैसा कि प्रतिस्थापन से पहले धारा 129 (ई) में विचार किया गया है।आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.11.2015 है जो धारा 129E के प्रतिस्थापन के बाद है। अपीलार्थी ने 2017 में अपील दायर की।अपीलार्थी को जो भुगतान करने के लिए कहा जाता है वह प्रतिस्थापन के बाद धारा 129 ई के संदर्भ में राशि है, अर्थात् धारा 129 ई में प्रदान किए गए निश्चित प्रतिशत के संदर्भ में बहुत कम राशि। हालाँकि, अपीलार्थी उस परंतुक का लाभ प्राप्त करना चाहेगा जो वास्तव में, उचित रूप से केवल उस मामले में लागू होगा जहाँ अपीलार्थी अपील कर रहा है और उसे पहले के अवतार के तहत धारा 129 ई के तहत पूरी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।

बी.

सी.

डी.

11. हम सोचेंगे कि विधायी इरादा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को धारा 129 ई के तहत प्रतिस्थापित प्रावधान के परंतुक के तहत उपलब्ध विवेकाधीन शक्ति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देना होगा। जब अपीलार्थी को पूरी राशि का भुगतान करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन केवल प्रतिस्थापित प्रावधान के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो हम अपीलार्थी के विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।हालाँकि, न्याय के हित में हम धारा 129 ई के अनुपालन की अवधि आज से दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।उसी के अधीन, अपील खारिज हो जाएगी।

ई.

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

एफ.

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

जी.

एच.